COVID-19
(MOST- URGENT)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28501 दिनांक : 22/03/2020

आदेश

'एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1867' एवं 'द' राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957' में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.7(94) परि./नियम/मू./2020/64777 दिनांक 21.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस के संभावित सामुदायिक संक्रमण के फेलाव को रोकने के उद्देश्य से लोक हित में सम्पूर्ण राज्य में, राजस्थान व अन्य राज्यों के सार्वजनिक यात्री वाहनों यथा रोडवेज, लोक परिवहन सेवा, कोन्ट्रेक्ट केरिज, स्टेट केरिज बसों, टेक्सी/केब तथा ओटो रिक्शा आदि के राज्य से बाहर जाने, अन्दर आने तथा राज्य के भीतर संचालन पर दिनांक 22.03.2020 प्रातः 07.00 बजे दिनांक 31.03.2020 तक रोक लगाई गई है।

उक्त आदेश की पालना में जिले में संचालित होने वाले समस्त परिवहन को निषेध किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में संबंधित उपखण्ड अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी आवश्यकतानुसार सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर सकते है। संचालन की स्वीकृति हेतु जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कंट्रोल रूम पर सम्पर्क किया जा सकेगा।

संबंधित जिला परिवहन अधिकारी, जिला कार्यालय से समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु आवश्यकतानुसार न्यूनतम ओटो रिक्शा चिन्हित कर संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेगें।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( )( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/28502-28570 दिनांक : / /2020

प्रतिलिपि :– निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
02. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर
03. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
05. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा
06. जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा
07. उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, बाड़मेर
08. सोशल मीडिया प्रभारी
09. रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर
आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर